न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/151/2021 रजू दिनांकः 23.09.2021 रजि0 न0 2021/297

अपीलार्थीः–

श्री करिश्मा सैनी पुत्री महिपाल सैनी, संजय नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 12.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित आवें।

4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा अपीलार्थी को सुना गया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1834 दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त सूचना संबंधित अनुभाग/कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर के पत्रांक कोष/अल/सामान्यआरटीआई /2021–22/277 दिनांक 02.09.2021 के माध्यम से प्राप्त कर, कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./**RTI**/2021/1649–50 दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसके अनुसार वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण एवं तृतीय पक्षकार को व्यक्तिगत हित में किसी की व्यक्तिगत सूचना देना निजता के हनन की श्रेणी में होने से सूचना अदेय है।

5. केन्द्रिय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण सं0, **CIC/SM/C/2009/00817 Dated 10-03-2010** निर्णय पारित कर माना है कि "किसी पक्ष के संबंध में भुगतान संबंधी जानकारी और उसके दस्तावेज न तो दिखाये जा सकते है और न ही सूचना के अधिकार के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सहमति के बिना जानकारी प्राप्त की जा सकती है।" उक्त प्रकरण के अतिरिक्त अन्य प्रकरण "राजेश भारती बनाम इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि0 अपील प्रकरण सं0 3195/**IC/(A)/2008** अन्तर्गत दिनांक 29.018.2008 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्णय पारित कर माना है कि किसी तृतीय व्यक्ति की निजी कुटुम्ब संबंधी जानकारी अधिनियम के अन्तर्गत नही दी जाती है। उक्त सूचना के लिये यह सिद्व किया जाना अपेक्षित है कि निजी व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक महत्व की है और उसे सार्वजनिक विषय होने के आधार पर या सार्वजनिक हित उसमें निहित होने से प्रकट किया जाना अनिवार्य हो गया है"।

जिला कलक्टर, अलवर

6. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि उक्त चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार की होने एवं सार्वजनिक लोकहित नहीं होने के कारण चाही गई सूचना अदेय है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर